दिनांक 03.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 05/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अपर मुख्य सचिव गृह विभाग व पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पुलिस दूरसंचार विभाग की डिजिटल पुस्तिका (हैण्डबुक) का किया गया विमोचन

आज दिनांक 03.10.2024 को उ0प्र0 पुलिस दूरसंचार मुख्यालय लखनऊ के स्थापना दिवस के अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह उ0प्र0 श्री दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक दूरसंचार डॉ0 संजय एम. तरडे एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुलिस रेडियो विभाग की डिजिटल पुस्तिका (हैण्डबुक) का विमोचन किया गया।

उक्त हस्त पुस्तिका में भौगोलिक मैप, डिजिटल टेक्निकल मैप, जोन वार डिजिटल टेक्निकल मैप, सीमावर्ती जनपदो से संचार प्रबन्ध आदि सम्बन्धित विवरण अंकित किये गये है।

इस अवसर पर श्री संजय एम. तरडे पुलिस महानिदेशक दूरसंचार द्वारा पुलिस रेडियो विभाग की उपलब्धियाँ को प्रजेन्टेशन के माध्यम से दिखाया गया। जिसकी प्रशंसा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा की गई।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पुलिस रेडियो विभाग के कार्मिकों के द्वारा अयोध्या में सम्पन्न हुई प्राण प्रतिष्ठा समारोह, लोकसभा चुनाव एवं अन्य महत्वपूर्ण अवसरो पर किये गये प्रयासो की सराहना की गयी। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कहा गया कि प्रदर्शनी में शानदार ठंग से प्रदर्शित किया है कि कैसे उन्नत दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, आधुनिक पुलिसिंग को शक्ति प्रदान करती है, तेजी से प्रतिक्रिया समय और स्मार्ट, सुरक्षित समुदायो को सक्षम बनाती है, संचार प्रक्रिया कानून प्रवर्तन की धड़कन है। पुलिस महानिदोशक महोदय द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली महाकुम्भ में सर्वोच्च स्तर की सुविधा प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अपर मुख्य सचिव गृह उ0प्र0 द्वारा यूपी पुलिस दूरसंचार विभाग के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि दूरसंचार का सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, आज जो टेक्नॉलाजी आ रही है, जो इक्यूपमेन्ट आ रहे है, उनकी ट्रेनिग लेना, उनकी खरीदारी करना और उनका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। आज डे टू डे कम्यूनिकेशन में इस विभाग का बहुत ही महत्व है।

इस अवसर पर पुलिस रेडियो विभाग के प्रांगण में विभिन्न तकनीकी दक्ष कम्पनियों द्वारा अति आधुनिक उत्पादों की प्रर्दशनी का आयोजन किया गया। जिसका भ्रमण पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 एवं अपर मुख्य सचिव (गृह) द्वारा किया गया। प्रर्दशनी में 63SATS, ZEBRA TECHNOLOGIES, CORAL TELECOM, GLOBUS, REAGENT DG TECH, MCIL, EXICOM, CP PLUS, ARYA COMMUNICATION, POSIDON, SPARSH CCTV, PRECISION o MOBILE COMMUNICATION द्वारा प्रतिभाग किया गया। उ0प्र0 पुलिस दूरसंचार विभाग के रेडियो निरीक्षक श्री कुँवर राघवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा EVALUATION OF POLICE CONTROL ROOM, श्रीमती रोनिता कपूर द्वारा महाकुम्भ प्रयागराज–2025 के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने तथा राज्य रेडियो अधिकारी, प्रशिक्षण श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा महाकुम्भ प्रयागराज–2025 की संचार व्यवस्था सम्बन्धी तैयारियों के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 व अपर मुख्य सचिव, गृह उ0प्र0 को पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, उ0प्र0 द्वारा स्मृति चिन्ह भेट किया गया।

02 एवं 03 -
प्रदेश पुलिस
दीपक कुमार

CP PLUS

पुलिस रेडियो विभाग
स्थापना दिवस
समारोह
02 एवं 03 - अक्टूबर 2024
स्थान : उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ
श्री योगी आदित्यनाथ
मा. मुख्यमंत्री, उ. प्र.
112

दिनांक 03.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 04/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पटाखा फैक्ट्रियों एवं गोदामों में विस्फोट की घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में ''विशेष अभियान'' चलाये जाने के दिये गये निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी उ0प्र0 को पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों एवं गोदामों में विस्फोट की घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत निर्देशों के क्रम में प्रभावी रोकथाम हेतु दिनांकः 03.10.2024 से दिनांक 09.10.2024 (एक सप्ताह) का ''विशेष अभियान'' चलाकर मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गयेः–

- जिन फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिया गया है, उन सभी का निरीक्षण संबंधित क्षेत्राधिकारी, उपजिलाधिकारी (एस०डी०एम०), थाना प्रभारी और अग्निशमन सेवा की संयुक्त टीम द्वारा किया जाये।
- जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण की वीडियोग्राफी कराते हुए अपर पुलिस अधीक्षक व अपर जिलाधिकारी (ए०डी०एम०) पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त/ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी (डी०एम०) द्वारा अभिलेखीकरण करके उनका क्रॉस–सत्यापन भी अवश्य किया जाये।
- आकस्मिक आग की दुर्घटनाओं, खासकर रासायनिक आग से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा विशेष ध्यान देकर सुनिश्चित करायी जाये।
- प्रत्येक निरीक्षण में दुर्घटनाओं के समय काम करने वाले कर्मचारियों और प्रबंधकों द्वारा की जाने वाली तैयारियों की भी गहनता पूर्वक जांच/समीक्षा तथा तद्नुसार यथोचित कार्यवाही की जाये।
- पटाखों आदि के भण्डारन/बिक्री के स्थानो पर पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

- चेकिंग/निरीक्षण के दौरान बालश्रम की उपस्थिति एवं बालश्रम की किसी भी घटना के मामले में तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- किसी भी अवैध या अनधिकृत कारखानों, भंडारण व अवैध बिक्रय/परिवहन की जानकारी के लिए राजस्व अधिकारियों, सम्बन्धित थाना और एलआईयू द्वारा गोपनीय रूप से जानकारी एकत्र कराना सुनिश्चित किया जाये।
- अवैध फैक्ट्री/भण्डारण पाये जाने की स्थितियों पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत उन्हें बंद करने के संबंध में तत्काल कार्यवाही की जाय।
- पटाखों के भण्डारण और बिक्री के स्थान उनके लाईसेंस/अनुमति के आधार पर निर्धारित/चिन्हित स्थानों पर ही हो. अन्यथा उनके विरूद्ध समुचित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- बिक्री के प्रत्येक स्थान को स्पष्ट रूप से चिह्नित और सीमांकित किया जाना चाहिए ताकि यह आबादी और व्यस्त बाजार/रिहाइशी इलाकों से उचित दूरी पर व्यस्थापित किया जाये।
- यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि इस प्रकार के जांच विशेष तौर पर थोक विक्रेताओं के लिए की जानी चाहिए, छोटे/पार्ट टाइम विक्रेताओं को जाँच के दौरान अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाये।
- उक्त कार्यवाही के पश्चात भविष्य में अगर आग, विस्फोट जैसी कोई घटना होती है तो संबंधित चौकी प्रभारी, बीट प्रभारी, थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करके तद्नुसार उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त दिशा–निर्देशो का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

जनपद मीरजापुर/थाना विन्ध्याचल

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये एवं 25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 02.10.2024 को थाना विन्ध्याचल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अकोढ़ी सीताकुण्ड के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–विपिन 2–उज्जवल घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त विपिन के विरूद्ध जनपद भदोही व कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 25 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिसमे अभियुक्त विपिन की गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये एवं अभियुक्त उज्जवल की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना विन्ध्याचल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विपिन निवासी मवैया थाना औद्योगिक क्षेत्र कमिश्नरेट प्रयागराज।

2–उज्जवल निवासी सरपतिया चक बबूरा थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 02.10.2024 को थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैलाशपुरी के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त वीरपाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामघाट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वीरपाल निवासी ग्राम बझेडा थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर।

जनपद चंदौली/थाना सकलडीहा

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 92 हजार 200 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 03.10.2024 को थाना सकलडीहा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नोनार तुलसी आश्रम के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त दीपक उर्फ बागी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 92 हजार 200 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद चंदौली के विभिन्न थानो में लूट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सकलडीहा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सकलडीहा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपक उर्फ बागी निवासी ग्राम नोनार तुलसी आश्रम थाना सकलडीहा जनपद चंदौली।

बरामदगी

1—लूट के 92 हजार 200 रूपये नगद।

2—01 मोबाइल फोन।

जनपद सहारनपुर/थाना देवबन्द

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 24 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 02.10.2024 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीरपुर तैय्यबपुर रोड अमृत सरोवर तालाब के पास से 04 अभियुक्तों 1—जुल्फिकार उर्फ बिल्ला 2—डोली उर्फ अंकुल 3—अभिषेक 4—रितेश को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 24 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.09.2024 को थाना देवबन्द क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–जुल्फिकार उर्फ बिल्ला निवासी मो0पठानपुरा कस्बा व थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार।

2–डोली उर्फ अंकुल निवासी शिवपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

3–अभिषेक निवासी ग्राम निहाल खेड़ी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

4–रितेश निवासी बहैडकी सादाबाद थाना झबरेड़ा जनपद हरिद्वार।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 24 हजार रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद पीलीभीत/थाना सुनगढ़ी</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 16 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 03.10.2024 को थाना सुनगढ़ी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरहा अण्डरपास के पास से अभियुक्त पंकज कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 16 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.09.2024 को थाना सुनगढ़ी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सुनगढ़ी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सुनगढ़ी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पंकज कुमार निवासी फतेहपुर विश्नोई थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद, मूलपता ग्राम अन्दाया थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1—लगभग 16 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने के आभूषण आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **14 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 02/03.10.2024 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे पुल बाननगर के पास से 04 अभियुक्तों 1—गुलबहार 2—प्रदीप 3—मुशर्रफ हुसैन उर्फ मूसा 4—सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 14 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो गाड़ियों के टॉप मॉडल का फाईनेंस कराकर लो मॉडल की गाड़ी एजेंसी से निकाल कर उनके इंजन व चेचिस नम्बर परिवर्तित कर बेच देते थे।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गुलबहार निवासी मोहम्मपुर मोहनपुरा थाना सिविल लाइन रूड़की उत्तराखण्ड।

2—प्रदीप निवासी ग्राम नावला थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

3—मुशर्रफ हुसैन उर्फ मूसा निवासी ग्राम बझेडी थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

4—सुनील कुमार निवासी बर्रा थाना गुजैनी कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1—14 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना रोजा

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 08 किलो 354 ग्राम अवैध अफीम**
- **07 हजार 555 रूपये नगद**
- **04 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद**

दिनांक 03.10.2024 को थाना रोजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अटसलिया पुल के पास से 04 अभियुक्तों 1–योगेन्द्र कुमार 2–रामजीवन कुमार 3–बब्लू कुमार 4–अरविन्द कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 08 किलो 354 ग्राम अवैध अफीम, 07 हजार 555 रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–योगेन्द्र कुमार निवासी ग्राम हेवई थाना केरेडारी जनपद हजारीबाग झारखण्ड।

2–रामजीवन कुमार निवासी ग्राम दोढ़ी मंधनिया थाना मयूरहण्ड जनपद चतरा झारखण्ड।

3–बब्लू कुमार निवासी कस्बा व थाना गिद्धौर जनपद चतरा झारखण्ड।

4–अरविन्द कुमार निवासी सलेमाबाद पटटी गुलचम्पा मैचक थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 08 किलो 354 ग्राम अवैध अफीम।

2–07 हजार 555 रूपये नगद।

3–04 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना रामपुरकलां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना रामपुरकलां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि व 25(1–बी) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त योगेश कुमार को सश्रम आजीवन कारावास व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना सरोजनीनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद लखनऊ द्वारा थाना सरोजनीनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364/302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संदीप को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कोतवाली उरई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(3) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जितेन्द्र कुमार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सतरिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/452 भादवि के

अन्तर्गत अभियुक्त सत्यनाम को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद जालौन/थाना कदौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 07–07 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कदौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 395/397 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामायण 2–राहुल को 07–07 वर्ष के कठिन कारावास व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————